

## ग्रामीण महिला छात्रावास मुरलीपुरा, जयपुर

1. **नाम व पता** — ग्रामीण महिला छात्रावास मुरलीपुरा, जयपुर  
**संचालक संस्था** — राजस्थान जाट समाज संस्थान जयपुर
2. **इतिहास** — जयपुर में जाट समाज के जागरुक समाजसेवकों द्वारा एक सहकारी संस्थान “राजस्थान जाट समाज संस्थान जयपुर” का गठन कर इसका सन् 1989 में रजिस्ट्रेशन करवाया गया। इस संस्थान द्वारा विद्याधर नगर स्कीम में 3000 वर्ग मीटर जमीन एवं मुरलीपुरा स्कीम में 700 वर्गमीटर जमीन खरीदी गई। इस संस्था द्वारा एक महिला छात्रावास चलाया जा रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है—

**ग्रामीण महिला छात्रावास, मुरलीपुरा** — मुरलीपुरा में स्थित जमीन पर समाज के व्यक्तियों से प्राप्त चन्दे से तीन मंजिला छात्रावास भवन संस्थान द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 18 आवासीय कमरें, डायनिंग हॉल, किचन आदि बनाये गये हैं। इस छात्रावास का लोकार्पण माननीय अजय सिंह किलक सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा श्री बंशीधर बाजीया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 24.06.2018 को किया गया। इस छात्रावास की आवासीय क्षमता 50 बालिकाएँ हैं, जिसमें ग्रामीण परिवेश की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाली छात्राएँ वास्तविक खर्च पर अध्ययनरत हैं।

### 3. कार्यकारिणी —

वर्तमान कार्यकारिणी —

1. **अध्यक्ष** — श्री ताराचन्द सीगड
2. **कोषाध्यक्ष** — श्री राजेन्द्र चौहान
3. **महासचिव** — श्री जगमाल सिंह

## राजस्थान जाट समाज संस्थान कार्यकारिणी 2021 - 2023

### पदाधिकारी

पद	नाम	फोन नम्बर		मोबाईल
		घर	ऑफिस	
अध्यक्ष	श्री चौधरी ताराचन्द सींगड़	2331224	2332333	9829010734
उपाध्यक्ष	श्री भागीरथ सिंह महला		2231456	98290115015
उपाध्यक्ष	श्री महादेव सिंह पुनिया	2229211		9314622299
कोषाध्यक्ष	श्री राजेन्द्र चौधरी			9829064551
महासचिव	श्री जगमाल सिंह			9829237773
सहसचिव	श्री सुभाष बुगलिया			9829037136
सहसचिव	श्री मनीष चौधरी			9829055131

### कार्यकारिणी सदस्य

क्रमांक	नाम	घर	ऑफिस	मोबाईल
1	श्री श्रीचन्द सींगड़	2330470		9829010470
2	श्री घासी राम पुनिया	2332844		9414043704
3	श्री कर्नल पी. एस. महला			9314833120
4	श्री रिछपाल बाटड़			9414458444
5	श्री होशीयार सिंह बुगलिया			8003180884
6	श्री मीर सिंह गजराज			9928082281
7	श्री बीरबल दुत			9314421606
8	श्री अनूप ठोलिया			9413339277
9	श्री नवरंग चौधरी			9413344637
10	श्री सुखराम सुबेदार मेजर	2252464		9783304464
11	श्री नरेन्द्र महला			9351510010
12	श्री ताराचन्द चौधरी			9828025228
13	श्री हरिनारायण गठाला			9414049210
14	श्री राजेन्द्र गजराज		2331143	9829066521
15	श्री ओमप्रकाश पुनिया	2231434	5175782	9414054150
16	श्री बन्नालाल कुडी			9314073314
17	श्री अश्वन कोठारी	2332433		9928310290

### विशेष आमंत्रित सदस्य

क्रमांक	नाम	घर	ऑफिस	मोबाईल
1	श्री सुरजाराम मील			9829010221
2	श्री सुरेश सींगड़	2331370		9829013935
3	श्री मोहन लाल डागर			9829050324
4	श्री पी. एस. सुण्डा			9413339977
5	श्री ईश्वर सिंह बुरडक			9314422530
6	श्री भागीनाथ चौधरी			9828125682
7	श्री डॉ. सुमित गर्गा			8003918000
8	श्री रिछपाल जाखड़			9829062084
9	श्री गीतम मास्कर			9829250759
10	श्री मदन बाजिया			9414584401
11	श्री कमला चौधरी			9828066699
12	श्री सुरेन्द्र झाझड़िया			9414057521
13	श्री मोतीराम बाजिया			9829066638

4. प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमावली -

# राजस्थान जाट समाज संस्थान

(ग्रामीण महिला छात्रावास परिसर)

बालिका छात्रावास



प्रिय माननीय बन्धुओं,

राजस्थान जाट समाज संस्थान समाज के उत्कर्ष एवं उत्थान के लिए दृढ़ संकल्पित एवं सतत् प्रयत्नशील संगठन है। ये एक सामाजिक संस्था है।

इस संगठन ने समाज के लोगो को नजदीक लाने, परस्पर प्रेम भावना पैदा करने एवं एक दूसरे की मदद करने के अद्वेय भूमिका निभाई है। ग्रामीण परिवेश की बालिकायें जयपुर में अध्ययन के लिए आती हैं उन्हें आवास के लिए भारी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको ध्यान में रखते हुए राजस्थान जाट समाज संस्थान द्वारा अपने परिसर में ग्रामीण महिला छात्रावास का निर्माण करवाया है।

इसके मुख्य ध्येय :- महिला शिक्षा ज्ञानवर्द्धन प्रगति एवं उत्थान।

गरीब मजदूर व किसान वर्ग के अशिक्षा के कारण व्याप्त अंधकार दूर कर ग्रामीण छात्राओं का सहयोग कर शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा लक्ष्य है।

इस छात्रावास के सुरक्षा की सकुचित व्यवस्था की गई है आधुनिकी तकनीकी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। व छात्राओं का घर जैसा माहोल मिलेगा।

नारी शिक्षा प्रकाश-पुँज है, जिसे जन-भागीदार से ही प्रज्ज्वलित किया जा सकता है अतः जन भागीदारी व सहयोग प्रार्थनीय है।

धन्यवाद !

चौ. ताराचन्द सींगड़

अध्यक्ष

9829010734

राजेन्द्र चौधरी

कोषाध्यक्ष

9829064551

जगमाल सिंह

महासचिव

9829230202

## विवरणिका

1. परिचय : समाज व देश का विकास व उत्थान शिक्षा पर आधारित है जिसमें महिला शिक्षा की महती आवश्यकता है। प्रदेश की राजधानी जयपुर में विभिन्न जातियों के छात्रों के लिए जातीय छात्रावास बना रखे हैं परन्तु अभी तक किसी जाट समाज की ग्रामीण महिला छात्राओं के लिए किसी भी वर्ग या जाति ने ग्रामीण महिला छात्रावास नहीं बना रखे हैं जिसकी कमी पूर्ति के लिए "राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास" की स्थापना व शिलान्यास 24 जून 2018 में की गई जिसके अन्तर्गत महिला 2 मंजिला भवन आधुनिक सुविधाओं युक्त तैयार हैं।
  2. गार्ड व वार्डन का आधुनिक आवास पूर्णकर उसमें आवास कर रहे हैं। जयपुर न केवल राजस्थान की राजधानी है बल्कि शिक्षा का प्रमुख केन्द्र है।
  3. महिलाओं के आवास के लिए यह जो छात्रावास राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास के नाम "राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास" रहेगा।
  4. यह छात्रावास जयपुर रेल्वे स्टेशन से 6 कि.मी. बस स्टैण्ड से 6 कि.मी. उत्तर पश्चिम वी.के.आई., रोड नं. 2, मुरलीपुरा में स्थित है तथा पंजीकृत संस्था संख्या रजिस्ट्रेशन नं. 451/89-90 के परिसर में स्थित हैं इस छात्रावास से शहर के सभी प्रमुख महाविद्यालयों एवं राजस्थान विश्वविद्यालय पहुंचने के लिए सिटी बस आवागमन के साधन हैं।
  5. प्रबंध : छात्रावास का संचालन का सम्पूर्ण दायित्व "राजस्थान जाट समाज संस्था" की प्रबंध समिति का होगा व प्रशासनिक निमंत्रण की प्रबंध समिति का रहेगा।
  6. उपसमिति का गठन : ग्रामीण महिला छात्रावास के सम्पूर्ण प्रबंध के लिए राजस्थान जाट समाज के अध्यक्ष की अध्यक्षता में संस्थान के सदस्यों में से सात व्यक्तियों की एवं प्रबंध समिति गठित की गई हैं।
  7. प्रवेश हेतु पात्रता : जयपुर शहर से बाहर निवास करने वाली ऐसी जाट समाज की छात्राएँ (महिलायें) जिन्होंने जयपुर के किसी महाविद्यालय में अथवा अन्य किसी तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश पा लिया हो, इस छात्रावास में प्रवेश पाने की पात्र होंगी। वरीयता  
(क) पहले आओ पहले पाओ 15 सीट  
(ख) 25 सीटे मैरिट के आधार पर
- नोट : स्वतंत्रता सेनानी परिवारों तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए शहीद हुये वीर सुपुत्रों के परिवारों से सम्बन्धित छात्राओं को सबसे पहले प्राथमिकता दी जायेगी।

## आर. जे. एस. एस. ग्रामीण महिला छात्रावास

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य नियम :-

1. छात्रावास का संचालन राजस्थान जाट समाज संस्थान ग्रामीण महिला छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों एवं उपनियमों के अन्तर्गत होगा।
2. छात्रावास के संचालन हेतु राजस्थान जाट समाज संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा मैनेजर, वार्डन, रसोईया, चौकीदार एवं अन्य आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की जावेगी। सामाजिक संस्था में मैनेजर छात्रावास की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारियों आशा के अनुरूप समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। इनको वेतन न देकर संस्था की ओर मानदेय (Honorisum) दिया जावेगा। शेष, वार्डन, रसोईयाँ, चौकीदार, सफाई कर्मचारी रखे जावेंगे। वे सभी दैनिक वेतन भोगी अथवा निर्धारित कार्य व श्रम के अनुसार नियमों का पालन करते हुए जो भी कार्य बतलाया जावेगा वो करने के उत्तरदायी होंगे। तथा निर्धारित कार्य व क्रम के अनुसार पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे और छात्रावास के अनुसार नियमों का पालन करते हुये जो भी कार्य बतलाया जावेगा वो करने के उत्तरदायी होंगे। ये सभी कर्मचारी अस्थाई रूप से संतोषजनक कार्य करने तक ही रखे जावेंगे।
3. कर्मचारियों का अवकाश संस्था के मैनेजर द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। छात्राये वार्डन के निर्देशन में छात्रावास नियमों का पालन करते हुए आवास करेंगी।
4. छात्रावास वार्डन राजस्थान जाट समाज संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं शक्तियों तथा समय-समय पर प्राप्त करने वाले निर्देशों के अधीन छात्रावास की व्यवस्था करेगी।
5. छात्रावास के नियमों व उपनियमों की अनुपालना में अध्यक्ष एवं मैनेजर का निर्णय मान्य होगा तथा कार्यकारिणी विशेष कारणों से सुनवाई कर उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करने अथवा निरस्त करने के लिये सक्षम होगी।

छात्रावास में प्रवेश-पात्रता :-

1. प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवेशार्थी छात्रा को निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा ! जिसमें माता-पिता व भाई व अन्य अभिभावक जो मिलने आवेंगे उनके नाम अंकित किये जावेंगे व फोटो भी लगाई जावेगी। यह प्रवेश-पत्र छात्रावास कार्यालय से जमा करवा कर स्वयं अथवा डाक द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा।



2. छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्राओं के लिए प्राप्ति विवरणिका में उल्लेख के अनुसार रहेगी। ग्रामीण आंचल की छात्राओं को ही प्रवेश में प्राथमिकता दी जायेगी।
3. आवेदन पत्र अपूर्ण पाये जाने एवं वांछित सूचना न दिये जाने या किसी तथ्य को छुपाये जाने की स्थिति में आवेदन पत्र रद्द कर दिया जावेगा।
4. छात्रावास शुल्क निम्न प्रकार से जमा कराना होगा  

जुलाई+अगस्त+सितम्बर+अक्टूबर+नवम्बर+दिसम्बर	10500/-	10500/-
--	---------	---------

जनवरी+फरवरी+मार्च+अप्रैल+मई+जून	10500/-	10500/-
---------------------------------	---------	---------

जमा कराने होंगे। तथा 2000/- प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी। उनमें से प्रतिभूति राशि छात्र के छात्रावास छोड़ने पर वापिस लौटा दी जायेगी।

5. छात्रावास नियमों का उल्लंघन करने, वार्डन के आदेशों की अवहेलना करने एवं अनुशासनहीन पाये जाने पर छात्र को छात्रावास में आवास सुविधा से वंचित कर दिया जावेगा तथा प्राप्त शुल्क वापस नहीं लौटाया जावेगा।
6. छात्रावास शुल्क जमा कराने पर ही प्रवेश पूर्ण समझा जावेगा।
7. आवास व्यवस्था : प्रत्येक कमरे में तीन छात्राओं के लिए आवास व्यवस्था है। कमरे का आवंटन मैनेजर द्वारा किया जायेगा जो उनकी अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।
8. आचार व्यवहार : छात्रावास प्रबन्धन का सदैव ही यह प्रयास रहेगा कि यहाँ आवास कर रही प्रत्येक छात्रा को घर का सा वातावरण एवं सुविधा उपलब्ध करवाई जाएँ जिससे वे पूरे मनोयोग एवं गम्भीरता से अध्ययनरत रह सकें।

प्रत्येक छात्रा से यह अपेक्षा है कि -

- (क) वह अपने-अपने कमरे को पूरा व्यवस्थित एवं स्वच्छ रखें।
- (ख) छात्रावास परिसर में किसी प्रकार की गंदगी न फैलायें।
- (ग) शोर हां-हल्ला करके अथवा अन्य किसी भी प्रकार से दूसरों की शांति भंग न करें।
- (घ) छात्रावास के नियमों व प्रबन्धन अथवा वार्डन के निर्देशों का पालन करें।

9. दुराचरण : किसी भी छात्रा द्वारा निम्न प्रकार का कृत्य दुराचरण माना जाएगा :-

- (1) झगड़ा करना अथवा मार-पीट करना।
- (2) छात्रावास की घल अथवा अचल सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
- (3) चोरी करना इत्यादि।
- (4) नियम विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होना।
- (5) वार्डन अथवा कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करना।
- (6) अवांछित लोगों से मिलना।
- (7) नशा की वस्तुएँ जैसे शराब, गाँजा, सिगरेट, तम्बाकू आदि रखना।
- (8) गाली-गलौच करना, अश्लील हरकत करना अथवा अश्लील साहित्य, सी.डी., वी.सी.डी. रखना।

किसी भी प्रकार के दुराचरण की दोषी पाये जाने पर छात्रा को उचित रूप से दण्डित किया जाएगा अथवा छात्रावास से निष्कासित कर दिया जायेगा।

10. रात्री के समय छात्रावास में रहने की अनिवार्यता :- प्रत्येक छात्रा के लिए यह अनिवार्य है कि वह सूर्यास्त से पूर्व छात्रावास में प्रवेश कर जाए एवं सूर्यादय से पूर्व छात्रावास से बाहर न जाए। वार्डन की पूर्णानुमति से ही इनमें छूट दी जा सकती है।

छात्राओं के लिए पालनीय नियम :-

1. प्रत्येक छात्रा अपना (बेडशीट, तकिया, रजाई) बिस्तर साथ लायेगी।
2. प्रत्येक छात्रा को छात्रावास की सहकारी मैस में ही भोजन करना होगा।
3. छात्रावास में प्रवेश एक शिक्षण सत्र के लिए होगा तथा परीक्षा समाप्ति पर प्रतिवर्ष प्रत्येक छात्रा को छात्रावास खाली करना होगा।
4. प्रत्येक छात्रा के लिए वार्डन द्वारा निर्धारित समय पर रोज सायं प्रार्थना सभा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। जिसमें उपस्थिति दर्ज की जावेगी।
5. छात्रा का दायित्व होगा कि वह छात्रा के किसी भी सामान उपकरणों एवं साज-सज्जा को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाये। यदि ऐसा किया गया तो उस पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। छात्रा को इसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी तथा उसे छात्रावास की आवास सुविधा से वंचित किया जा सकेगा।

5/8

**14. अभिभावकों व आगन्तुकों से मिलना**

- (क) माता-पिता एवं प्रवेश प्रार्थना-पत्र में विहित सम्बन्धियों के अतिरिक्त किसी अन्य छात्र से मिलने की अनुमति देने का वादन को अधिकार होगा। मिलने का दिन प्रत्येक रविवार प्रातः 8.00 बजे से सायं 17.00 (5) बजे तक होगा।
- (ख) किसी भी अभिभावक व आगन्तुक को छात्र के कमरे या छात्रावास परिसर में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा।
- (ग) छात्र से मुलाकात की अनुमति निर्धारित समय में ही दी जाएगी।
- (घ) मुलाकात केवल आगन्तु कक्ष में ही करवाई जायेगी।
- (ङ) बीमारी अथवा अत्यन्त आवश्यक होने पर छात्र के किसी अभिभावक को किसी सम्पर्क सूत्र से सुचित किया जाता है। प्रवेश प्रार्थना-पत्र में अंकित किया जावे।

**छात्रावास शुल्क :**

- (1) छात्रावास में एडमिशन लेने वाली प्रत्येक छात्रा को 2000/- रुपये प्रतिभूति शुल्क (Refundable) जमा करवाना होगा। जो कि छात्रा के छात्रावास छोड़ने के बाद वापिस लौटा दिया जावेगा।
- (2) प्रत्येक छात्रा को तीन माह का 10500/- रुपये अग्रिम जमा करवाना होगा। तथा शेष किस्त भी इसी तरह शेष तीन-तीन माह की किस्त जमा करवानी होगी।

छात्रावास में छात्राओं के उचित आवास की उचित व्यवस्था प्रबन्धन एवं अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए समस्त अभिभावकों एवं छात्रावास के सदस्य महानुभावों से सुझाव व सहयोग वांछनीय है।

**चौ. ताराचन्द रीगड़**  
अध्यक्ष  
9829010734

**राजेन्द्र चौधरी**  
कोषाध्यक्ष  
9829064551

**जगजाल सिंह**  
महासचिव  
9829230202



6. छात्रा का कर्तव्य होगा कि वह छात्रावास में कोई भी कमी या बुराई पाये तो तत्काल उसकी सूचना छात्रावास वार्डन को दे।
7. अध्ययन, खेल-कूद, भोजन एवं अन्य दैनिक कार्य वार्डन द्वारा निर्धारित समय में निर्धारित विधि से सम्पादित करना छात्रा के लिए आवश्यक होगा।
8. छात्रा के प्रवेश आवेदन-पत्र में अंकित मिलने वाले व्यक्ति को प्रवेश के समय ही मैनेजर द्वारा फोटो युक्त परिचय-पत्र प्रमाणित करवाने होंगे तथा फोटो परिचय-पत्र के अभाव में उन्हें छात्रा से मिलने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
9. छुट्टी पर जाने वाली प्रत्येक छात्रा, जितनी अवधि के लिए घर जा रही है, उनकी सूचना लिखित में वार्डन के द्वारा मैनेजर को देगी जिसकी पुष्टि अभिभावक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की जिम्मेदारी पर घर जा सकेगी।
10. सामान्यतया छात्राओं को हर रविवार को प्रातः 9 बजे से सायं 16.00 बजे (4) तक अपने अभिभावक या प्राधिकृत व्यक्तियों से मिलने की स्वीकृति मिल सकेगी।
11. अति आवश्यक होने पर छात्रायें वार्डन के साथ बाजार, चिकित्सालय, पोस्ट ऑफिस, बैंक आदि जा सकेगी।
12. छात्रावास में आवास करने वाली छात्रा के जहाँ वह अध्ययनरत हैं :-
  - (i) वहाँ से एक माह तक अनुपस्थित रहने पर।
  - (ii) फैल होने पर।
  - (iii) नौकरी करने पर उसका प्रवेश रद्द हो जावेगा तथा पन्द्रह दिन की अवधि में छात्रावास खाली करना पड़ेगा।
13. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की उपस्थिति सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं से प्रतिमाह, वार्डन द्वारा मंगवायी जावेगी एवं अनुपस्थित पाई जाने वाली छात्राओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
11. छात्रावास में रहने वाली छात्राओं पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध रहेंगे:-
  1. किसी भी छात्रा को अपने साथ पंखा, हीटर, कूलर, कैमरा, बिजली की राड आदि सामान लाने एवं रखने की अनुमति नहीं होगी।

2. छात्रायेँ नाक व कान के सामान्य गहनों के अलवा मूल्यवान आभूषण एवं 1000/- रूपये से अधिक नकद धनराशि अपने पास नहीं रख सकेगी।
3. छात्रायेँ परस्पर किसी प्रकार का वैट्रिक लेन-देन नहीं करेगी।
4. किसी भी छात्रा को कमरे में एफ.एम., रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेपरिकार्डर, वी.सी.पी., वी.सी.आर. आदि रखने की अनुमति नहीं होगी।
5. कमरे में कोई भी छात्रा घाय, नाश्ता, खाना आदि नहीं बना सकेगी।
6. वार्डन की रचीकृति के बिना छात्रायेँ अभिभावकों या अधिकृत व्यक्तियों से नहीं मिल सकेगी।
7. छात्रावास में छात्राओं के अभिभावकों, प्राधिकृत व्यक्तियों एवं अतिथियों को ठहरने की कोई अनुमति नहीं रहेगी।
8. विद्यालय/महाविद्यालय में शिक्षण समय के अतिरिक्त समय में किसी भी छात्रा को छात्रावास से बाहर रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. शिक्षण संस्थान में होने वाले लम्बे अवकाशों में ही छात्रा को अभिभावक/प्राधिकृत व्यक्ति के साथ अथवा उनकी लिखित जिम्मेदारी पर ही घर जाने की अनुमति मिल सकेगी।
10. इन अवकाशों के अतिरिक्त किसी विशेष परिस्थिति में ही वार्डन एवं मैनेजर सन्तुष्ट होने पर ही छात्रा को घर जाने की विशेष अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

## 12. अदेयता प्रमाण-पत्र (NO DUES CERTIFICATE)

छात्रावास में रहने वाली प्रत्येक छात्रा को छात्रावास छोड़ने पर छात्रावास के समस्त शुल्क, धाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, गद्दा आदि जमा करवाकर जो छात्रावास से मिला हैं व्यवस्थित कर वार्डन से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

13. उक्त नियमों-उपनियमों/प्रतिबन्धों से छात्राओं व अभिभावक पूर्णतया आबद्ध रहेंगे। उक्त वर्णित नियमों के अतिरिक्त भी छात्रावास के सुचारु संचालन हेतु वार्डन व मैनेजर द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों की छात्रा व अभिभावक को पूर्ण पालन करनी होगी।



